



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]
No. 215]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2010/वैशाख 7, 1932
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2010/VAISAKHA 7, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 351(अ).—खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 44(अ), तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 22 जनवरी, 2009 में पृष्ठ 1-2 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 2 फरवरी, 2009 को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1589 GI/2010

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 22 की सारणी में,—

- (क) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 मिली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 मिली" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "300 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) क्रम सं. 13 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "400 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (घ) क्रम सं. 14 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "600 मिली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3 लीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ङ) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "200 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (च) क्रम सं. 19 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(1)

